

ह्यूमन इम्यूनोडफिसिएंसी वायरस

प्रलिम्स के लिये:

ह्यूमन इम्यूनोडफिसिएंसी वायरस, बोन-मैरो ट्रांसप्लांट (प्रत्यारोपण), CCR5-डेल्टा 32 म्यूटेशन।

मेन्स के लिये:

एक्वायरड इम्यूनोडफिसिएंसी सडिरोम स्टेज (AIDS), एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट।

चर्चा में क्यों?

जर्मनी का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे **डसेलडोर्फ रोगी (Dusseldorf Patient)** के रूप में जाना जाता है, **HIV (Human Immunodeficiency Virus)** से ठीक होने वाला तीसरा व्यक्ति बन गया है, दवा बंद करने के चार वर्ष बाद भी उसके शरीर में वायरस के कोई संकेत नहीं मिले हैं।

- यह उपलब्ध विशिष्ट HIV प्रतिरैधी आनुवंशिक उत्परिवर्तन (Mutation) वाले व्यक्तियों के माध्यम से [अस्थिभ्रंज प्रत्यारोपण](#) द्वारा प्राप्त हुई है।

HIV से अन्य रकवरी:

- बर्लिन का एक रोगी रक्त कैंसर के इलाज हेतु वर्ष 2007 और 2008 में दो स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद HIV से ठीक होने वाला पहला व्यक्ति था।
 - डॉक्टरों ने CCR5-डेल्टा 32 नामक एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन के साथ दाता का चयन किया जो वाहक को HIV के प्रतिलगभग प्रतिरक्षित करता है।
- वर्ष 2019 में लंदन के रोगी में इसी तरह के परिणाम दोहराए गए थे। वर्ष 2022 में सफल उपचार के दो और मामले सामने आए।

CCR5-डेल्टा 32 म्यूटेशन:

- ससिटीन-ससिटीन केमोकाइन रसिप्टर 5 (CCR5) वायरस और एक कोशिका से दूसरी कोशिका प्रसार में शामिल प्रमुख HIV सह-रसिप्टर (HIV co-receptor) है।
- HIV CD4 कोशिकाओं में उनके CCR5 रसिप्टर्स के माध्यम से प्रवेश करता है। CCR5-डेल्टा 32 म्यूटेशन द्वारा इसके प्रवेश को प्रभावी रूप से बंद कर दिया जाता है, जो इन रसिप्टर्स को CD4 कोशिकाओं पर वकिसति होने से रोकता है।
- विश्व भर में केवल 1% लोगों के पास म्यूटेशन की दो प्रतियाँ हैं और 20% लोगों के पास केवल एक ही प्रतियाँ हैं, इसमें ज्यादातर यूरोपीय मूल के हैं। म्यूटेशन वाले लोग HIV के प्रतिलगभग प्रतिरक्षित होते हैं, फरि भी इसके कुछ मामलों की सूचना मिली है।

HIV:

- परिचय:
 - HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडफिसिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो मानव शरीर में [प्रतिरक्षा प्रणाली](#) को क्षति पहुँचाता है।
 - यह मुख्य रूप से CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं को लक्षित करता है और उन्हें नुकसान पहुँचाता है, CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाएँ संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता के लिये आवश्यक होती हैं।
 - HIV समय बीतने के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर विभिन्न प्रकार के संक्रमण और [कैंसर](#) की चपेट में आ जाता है।
- संचरण:
 - इसके संचरण के प्राथमिक स्रोत- रक्त, शुक्राणु, यौनिक तरल पदार्थ, स्तनपान आदि माने जाते हैं।

■ गंभीरता:

- यदि उपचार नहीं किया जाता है, तो वायरस किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है तथा उसे **एकवायरस इम्यूनोडफिसिएंसी सिंड्रोम (AIDS)** स्टेज में कहा जाता है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने के कारण कई अन्य संक्रमण घेर लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है।

■ उपचार:

- हालाँकि वर्तमान में संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, लेकिन **एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART)** का उपयोग करके वायरस को नियंत्रित किया जा सकता है।
 - ये दवाएँ शरीर के भीतर वायरस की प्रतिकृति बनाने की क्षमता को कम कर देती हैं, जिससे **CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि** हो जाती है।

अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Transplant):

- अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण एक चिकित्सा उपचार है जो किसी व्यक्ति के अस्थि मज्जा को स्वस्थ कोशिकाओं के साथ प्रतिस्थापित कर देता है।
 - **प्रतिस्थापन कोशिकाएँ व्यक्ति के स्वयं के शरीर से या दाता से ली जा सकती हैं।**
- अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण को **स्टेम सेल प्रत्यारोपण** या विशेष रूप से **हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण** भी कहा जाता है।
 - प्रत्यारोपण का उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर के उपचार हेतु किया जा सकता है, जैसे कि **ल्यूकेमिया, मायलोमा और लिम्फोमा** तथा अन्य रक्त एवं प्रतिरक्षा प्रणाली रोग जो अस्थि मज्जा को प्रभावित करते हैं।
- अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण **स्वयं व्यक्ति (Autologous- ऑटोलॉजस प्रत्यारोपण)** या **दाता (Allogeneic- एलोजेनिक प्रत्यारोपण)** से प्राप्त कोशिकाओं का उपयोग कर किया जा सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति बीमारियों में से कौन-सी टैटू बनवाने द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? (2013)

1. चकिनगुनयिया
2. यकृतशोध-B
3. HIV-AIDS

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जाति आधारित भेदभाव

प्रलिमिंस के लिये:

जाति व्यवस्था, संवधान के महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद, संबंधित सरकारी योजनाएँ

मेन्स के लिये:

समाज और अर्थव्यवस्था में जाति की भूमिका, जाति व्यवस्था की स्थिति, पहलें

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सफ़्टल जात-आधारित भेदभाव पर प्रतर्बिंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना । इसमें लिंग और धर्म के आधार पर भेदभाव के खिलाफ संरक्षण एक वर्ग के रूप में जातों को भी शामिल किया गया है ।

- जातविरुद्धी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है ।

भारत में सामाजिक भेदभाव की स्थिति:

■ परिचय:

- जात अपने कठोर सामाजिक नियंत्रण और नेटवर्क के माध्यम से कुछ के लिये आर्थिक गतिशीलता की सुविधा प्रदान करती है तो अन्य के लिये अलाभ या वंचना की व्यापक स्थितियों के साथ बाधाएँ खड़ी करती है ।
- यह भूमि एवं पूंजी के स्वामित्व पैटर्न को भी आकार देती है और साथ ही राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पूंजी तक पहुँच को नियंत्रित करती है ।
- जनगणना (2011) के अनुसार, भारत में अनुमानित 20 करोड़ दलित हैं ।

■ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़े:

- वर्ष 2021 में अनुसूचित जातियों (SC) के खिलाफ अपराधों के 50,900 मामले दर्ज किये गए, वर्ष 2020 (50,291 मामलों) की तुलना में इसमें 1.2% की वृद्धि हुई ।
- अपराध की दर विशेष रूप से मध्य प्रदेश (113.4 लाख की अनुसूचित जातों की आबादी में 63.6 प्रति लाख) और राजस्थान (112.2 लाख की अनुसूचित जातों की आबादी में 61.6 प्रति लाख) में उच्च थी ।

■ ऑक्सफ़ैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया डिसिम्बलिंग रिपोर्ट:

- शहरी क्षेत्रों में भेदभाव में कमी: यह कमी शिक्षा एवं सहायक सरकारी नीतियों के कारण देखी गई है ।
- आय में अंतर: वर्ष 2019-20 में गैर-अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजात वर्ग के लोगों के स्व-नियोजित श्रमिकों की औसत आय 15,878 रुपए, जबकि अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात पृष्ठभूमि के लोगों की औसत आय 10,533 रुपए थी ।
 - स्व-नियोजित गैर-अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजात के कर्मचारी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात पृष्ठभूमि के अपने समकक्षों की तुलना में एक-तहाई अधिक कमाते हैं ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव में वृद्धि: ग्रामीण भारत में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात समुदायों को आकस्मिक रोज़गार में भेदभाव में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है ।

भारत में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा उपाय:

■ संवैधानिक प्रावधान:

- कानून के समक्ष समानता:
 - अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा ।
 - यह अधिकार सभी व्यक्तियों चाहे वे भारतीय नागरिक हों या विदेशी नागरिक या किसी अन्य प्रकार का कानूनी नगिमों जैसे, सांविधिक नगिम, कंपनियों, पंजीकृत समितियों आदिको दिया गया है ।
- भेदभाव का निषेध:
 - भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा ।
- अवसर की समानता:
 - भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के तहत रोज़गार के मामलों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी । कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिये अपात्र नहीं होगा ।
- अस्पृश्यता का उन्मूलन:
 - संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है ।
- शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक हितों को बढ़ावा देना:
 - अनुच्छेद 46 के तहत राज्य द्वारा 'कमज़ोर वर्ग के लोगों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय व अन्य सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिये प्रावधान का उल्लेख है ।
- अनुसूचित जातों के दावे:
 - अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों करते समय, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को लगातार ध्यान में रखा जाएगा ।
- विधानमंडल में आरक्षण:
 - संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में क्रमशः लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है ।
- स्थानीय निकायों में आरक्षण:
 - पंचायतों से संबंधित भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान के भाग IXA के तहत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातों एवं अनुसूचित जनजातों के लिये आरक्षण की परिकल्पना तथा प्रावधान किया गया है ।

संबंधित सरकारी पहलें:

■ भूमिसुधार:

- भूमि के समान वितरण और वंचितों के उत्थान हेतु **भूमिसुधार** के प्रयास किये गए। स्वतंत्र भारत के भूमिसुधार के चार घटक थे:
 - बचौलियों का उन्मूलन
 - करियेदारी में सुधार
 - भू-धारता सीलिंग का निर्धारण करना (Fixing Ceilings on Landholdings)
 - ज़मींदारी का समेकन।

■ **संवधान (अनुसूचि जाति) आदेश 1950:**

- इसने हिंदू दलितों के साथ-साथ सिख धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाने वाले दलितों को अनुसूचि जातियों के रूप में वर्गीकृत किया।
- सर्वोच्च न्यायालय अब **दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचि जाति के रूप में शामिल** करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

■ **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana- PMKVY):**

- यह उत्पादकता बढ़ाने और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण एवं प्रमाणन को संरक्षित करने के उद्देश्य से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिये प्रेरित करने पर लक्षित है।

■ **संकल्प योजना:**

- **आजीविका संवर्द्धन के लिये कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता या 'संकल्प' (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion- SANKALP) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship- MSDE) का एक परणाम-उन्मुख कार्यक्रम है जहाँ वकिंद्रीकृत योजना-निर्माण एवं गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया है।**

■ **'सर्टिडअप इंडिया' योजना:**

- इसे अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित रखते हुए ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य संस्थागत ऋण संरचना की पहुँच अनुसूचि जाति, अनुसूचि जनजाति और महिला उद्यमियों जैसे सेवा-वंचित समूहों तक सुनिश्चित करना है ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।

■ **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:**

- यह बैंकों, **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Micro Finance Institutions- MFIs)** जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करती है।
- इसके तहत समाज के वंचित वर्गों, जैसे- महिला उद्यमियों, एससी/एसटी/ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय की लोगों आदि को ऋण दिया गया है। योजना ने नए उद्यमियों का भी विशेष ध्यान रखा है।

आगे की राह

- भेदभाव के खिलाफ दलितों और आदिवासियों जैसे **हाशिये के समुदायों की रक्षा हेतु कानूनों तथा नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन करना।**
- जातगत भेदभाव और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के हानिकारक प्रभावों को उज़ागर करने हेतु लोगों के बीच विशेष रूप से **सामाजिक क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना।**
- भूमि के अधिक समान वितरण हेतु दूसरी पीढ़ी के भूमिसुधारों के साथ-साथ **सर्टिडअप इंडिया, PMKVY और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से सीमांत समुदायों** का आर्थिक सशक्तीकरण करना।
- जातगत भेदभाव को दूर करने हेतु **नागरिक समाज संगठनों, सरकारी एजेंसियों और वंचित समुदायों के बीच सहयोग एवं संवाद को बढ़ावा देना।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. 'सर्टिडअप इंडिया स्कीम' के संदर्भ में नमिनलखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इसका प्रयोजन अनुसूचि जाति/अनुसूचि जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है।
2. यह SIDBI के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c

- स्टैंडअप इंडिया स्कीम की शुरुआत 5 अप्रैल, 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। अतः कथन 1 सही है।
- इस योजना से बड़ी संख्या में उद्यमियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्रत्येक श्रेणी के उद्यमियों के लिये औसतन प्रति बैंक शाखा (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) में कम-से-कम दो ऐसी परियोजनाओं की सुविधा प्रदान करना है।
- यह SIDBI के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ पुनर्वित्त का प्रावधान करती है। अतः कथन 2 सही है।

प्रश्न/उत्तर:

प्रश्न. बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित वस्तुतः उत्तर दीजिये। (2020)

प्रश्न. "जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये। (2018)

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिक पहलें क्या हैं? (2017)

प्रश्न. अपसारी उपागमों और रणनीतियों के बावजूद महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिये। (2015)

प्रश्न. इस मुद्दे पर चर्चा कीजिये कि क्या और किस प्रकार दलित प्राख्यान (एसरशन) के समकालीन आंदोलन जाति विनाश की दशा में काम करते हैं। (2015)

स्रोत: द हिंदू

मासिक धर्म अवकाश

प्रलम्ब के लिये:

जनहित याचिका, महिलाओं का मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों तक नःशुल्क पहुँच वधिक, 2022

मेन्स के लिये:

महिलाओं से संबंधित मुद्दे, भारत में मासिक धर्म अवकाश के प्रयास।

चर्चा में क्यों?

भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने देश भर में शर्मिंदगी और छात्रों के लिये मासिक धर्म अवकाश से संबंधित एक [जनहित याचिका](#) को खारजि कर दिया।

- न्यायालय ने इसे एक नीतगित मामला बताया और कहा कि मासिक धर्म के दौरान तकलीफ के लिये अवकाश के अलग-अलग आयाम हैं और यह नियोक्ताओं को महिला कर्मचारियों को कार्य पर रखने से हतोत्साहित कर सकता है।

वशिव स्तर पर मासिक धर्म अवकाश हेतु किस प्रकार की नीतियाँ लागू हैं?

- परिचय:
 - मासिक धर्म अवकाश जसि मासिक चक्र अवकाश के रूप में भी जाना जाता है, उन सभी नीतियों को संदर्भित करता है जो महिला कर्मचारियों या छात्राओं को मासिक धर्म में दर्द या परेशानी के कारण अवकाश की अनुमति देता है।
- मासिक धर्म अवकाश को बढ़ावा देने वाले देश:
 - स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, ज़ाम्बिया, दक्षिण कोरिया और वयितनाम।

- स्पेन पहला यूरोपीय देश है जो महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म में सवेतन अवकाश प्रदान करता है, जिसमें प्रतमाह तीन दिन का अवकाश अधिकार शामिल है, जिसे बढ़ाकर पाँच दिन किया जा सकता है।

मासिक धर्म अवकाश हेतु भारत में प्रयास:

- भारत में कुछ कंपनियों ने [मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ](#) पेश की हैं, जिसमें ज़ोमैटो भी शामिल है, जिसने वर्ष 2020 में प्रतवर्ष 10 दिन की सवेतन अवकाश की घोषणा की।
 - [सवर्गी और बायजू](#) जैसी अन्य कंपनियों ने भी इसका अनुसरण किया है।
- **बिहार और केरल** मात्र ऐसे भारतीय राज्य हैं जिनोंने महिलाओं हेतु मासिक धर्म अवकाश नीतियाँ पेश की हैं।
 - **बिहार की नीतिवर्ष 1992 में पेश की गई थी**, जिसमें महिला कर्मचारियों को प्रत्येक महीने दो दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जाता था।
 - **केरल ने हाल ही में घोषणा की** कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के तहत विश्वविद्यालयों में छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा और केरल के एक विद्यालय ने भी इसी प्रकार की प्रणाली शुरू की है।

मासिक धर्म अवकाश के संबंध में किये जा रहे विधायी उपाय:

- **बीते समय में किये गए प्रयास:**
 - संसद में मासिक धर्म अवकाश और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पाद विधायक पेश किये गए हैं, लेकिन उन पर मुहर लगाना अभी तक बाकी है।
 - उदाहरण के लिये **मासिक धर्म लाभ विधायक, 2017'** और **महिला यौन, प्रजनन एवं मासिक धर्म अधिकार विधायक 2018**
- **महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुँच विधायक, 2022:**
 - प्रस्तावित विधायक मासिक धर्म की अवधि के दौरान महिलाओं और ट्रांस महिलाओं के लिये तीन दिनों के सवेतन अवकाश का प्रावधान करता है और इसे छात्राओं के लिये भी लाभकारी बनाने का प्रयास करता है।
 - विधायक में अनुसंधान का हवाला दिया गया है जो इंगित करता है कि लगभग **40% लड़कियाँ पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं छोड़ती** हैं तथा लगभग **65%** ने कहा कि इसका स्कूल में उनकी दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है।

[स्रोत: द हट्टि](#)

ग्रामीण भारत की स्थिति

प्रलम्ब के लिये:

केंद्रीय बजट 2023-24, सकल घरेलू उत्पाद (GDP), स्वास्थ्य बीमा, पेंशन।

मेन्स के लिये:

ग्रामीण भारत की स्थिति, चुनौतियाँ और संभावनाएँ।

चर्चा में क्यों?

ग्रामीण भारत पहले से ही संकट में है, इसके बावजूद [केंद्रीय बजट 2023-24](#) में आर्थिक विकास को पुनरूप में लाने के लिये बहुत कम बजट प्रदान करने के साथ **इसने सब्सिडी योजनाओं के आवंटन में भारी कटौती की है**, हालाँकि कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के आवंटन में मामूली वृद्धि हुई है।

ग्रामीण भारत के संदर्भ में केंद्रीय बजट:

- **कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ:**
 - [पीएम कृषि](#) सहित कृषि और संबद्ध गतिविधियों के आवंटन में वित्त वर्ष 2023 में 1.36 ट्रिलियन करोड़ रुपए से लेकर वित्त वर्ष 2024 में 1.44 ट्रिलियन करोड़ रुपए (5.8% की वृद्धि) की मामूली वृद्धि हुई है।
- **कृषि अनुसंधान और विकास:**
 - कृषि अनुसंधान एवं विकास पर आवंटन केवल 9,504 करोड़ रुपए है, हालाँकि यह वित्त वर्ष 2023 में 8,658 करोड़ रुपए से अधिक है।

- यह कृषिसकल मूल्यवर्द्धन का केवल 0.4% है, जबकि अन्य देश **कृषिसकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP)** का 1-2% खर्च करते हैं।

■ कृषिसब्सिडी:

- इस बजट में खाद्य सब्सिडी में 31% की कटौती की गई है। पछिले वर्ष के 287,194 करोड़ रुपए की तुलना में अब इसमें 197,350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- उर्वरक सब्सिडी में पछिले वर्ष से 22% की कटौती की गई है और अब 175,099 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
- गरीबों हेतु **तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (Liquified Petroleum Gas- LPG)** पर सब्सिडी 75% घटाकर अब 2,257 करोड़ रुपए कर दी गई है।
- कॉटन कारपोरेशन द्वारा मूल्य समर्थन योजना के तहत **कपास** की खरीद का बजट 2022-23 के 782 करोड़ रुपए से घटाकर एक लाख रुपए कर दिया गया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति:

■ परिचय:

- **आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23** के अनुसार, भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी की आजीविका का मुख्य आधार कृषि है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के प्रभुत्व के बारे में आम धारणा के विपरीत लगभग दो-तर्हई ग्रामीण आय अब गैर-कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती है।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, पछिले छह वर्षों में कृषिक्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.6% रही है। हालाँकि ऐसे अन्य कई कारण हैं जिनसे कृषिक्षेत्र और ग्रामीण आय काफी प्रभावित हो रही है।

■ आर्थिक स्थिति:

○ महामारी पूर्व स्थिति:

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण ने भारत में एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का खुलासा किया, जिसका प्रमुख कारण मांग और आपूर्ति की समस्या थी।
- वर्ष 2014 से पहले अर्थव्यवस्था में गंभीर मंदी और बढ़ती मजदूरी, भारत के उर्वरक-सब्सिडी सुधारों का खराब कार्यान्वयन तथा गैसोलिन की उच्च कीमतों के कारण **इनपुट लागत में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं की चेतावनी के संकेत पहले से ही थे।**
- वर्ष 2014 और 2015 में लगातार सूखे की स्थिति बनी रहने के कारण यह समस्या और बढ़ गई।
- लेकिन वर्ष 2016 में कृषिक्षेत्र के पुनरोद्धार होने से पूर्व **वमिद्रीकरण** ने एक और नई समस्या खड़ी कर दी जिससे कई किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई।
- तब से अर्थव्यवस्था ने एक तेज़ मंदी का अनुभव किया है, जिसके बाद कोविड महामारी आई है।
- कोविड महामारी के बाद से अर्थव्यवस्था में बड़ी मंदी देखी गई है।

○ महामारी के बाद:

- वास्तविक रूप से देखें तो वर्ष 2021-2022 में प्रतिव्यक्ति आय अभी भी वर्ष 2018-2019 के स्तर से नीचे रही है तथा वर्ष 2016-2017 एवं वर्ष 2021-2022 के बीच समग्र वृद्धि पछिले चार दशकों में 3.7% के न्यूनतम स्तर पर रही है। .

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये चुनौतियाँ:

■ मुद्रास्फीति:

- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च **मुद्रास्फीति** के कारण ग्रामीण आबादी की क्रय शक्ति में गिरावट देखने को मिली है। उच्च मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक ग्रामीण वेतन वृद्धि नकारात्मक रही है।
- हालाँकि सुधार के कुछ संकेत दिखने लगे हैं, परंतु कमज़ोर ग्रामीण मांग तेज़ी से बढ़ रहे उपभोक्ता उत्पादों और अन्य टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिये एक समस्या बनी है।

■ कृषिक्षेत्र संबंधी मुद्दे:

- भारत में कई ग्रामीण परिवारों के लिये कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।
- संचाई सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त ऋण सुविधाएँ, कृषिउपज के लिये कम कीमत और अपर्याप्त मौसम की स्थिति जैसे मुद्दे फसल की वफिलता, बढ़ते कर्ज और किसानों की घटती आय का कारण बन सकते हैं।

■ ग्रामीण रोज़गार के अवसरों की कमी:

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के सीमित अवसरों ने लोगों को काम की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिये मजबूर किया है, जिससे ग्रामीण समुदायों का सामाजिक और आर्थिक वसिस्थापन हुआ है।

■ खराब बुनियादी ढाँचा:

- ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे- पानी, बिजली, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाओं तक पहुँच की कमी ने इन क्षेत्रों के विकास एवं वृद्धि की क्षमता को सीमित कर दिया है।

■ अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा:

- **स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन** और दवियांगता लाभ जैसे पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा तंत्र की कमी के परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवारों की भेद्यता में वृद्धि हुई है।

■ राजकोषीय स्वायत्तता का अभाव:

- पंचायतों के पास कर की दरें और राजस्व आधार नरिधारित करने के संबंध में केवल सीमित शक्तियाँ हैं क्योंकि इस तरह के अभ्यास

के लिये व्यापक मानदंड राज्य सरकार द्वारा तय किये जाते हैं।

- परिणामतः ऊर्ध्ववाधर अंतर की सीमा और सशरत अनुदानों की मात्रा बहुत अधिक है।
 - यह ग्राम पंचायतों की [राजकोषीय स्वायत्तता](#) को कम करता है तथा कर्ज़ लेने एवं विकास की स्वतंत्रता हेतु इसमें कम गुंजाइश है।

भारत में ग्रामीण विकास से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान में [राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत](#) के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिये कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों।
- [73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992](#) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का गठन ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिये किया गया और इन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।
- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि विस्तार, भूमि सुधार सहित 29 कार्यों को पंचायती राज निकायों के क्षेत्राधिकार में रखा गया है।
 - पंचायतों को [11वीं अनुसूची](#) में दर्शाए गए विषयों सहित पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर कानून द्वारा हस्तांतरित विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनाएँ तैयार करने का अधिकार दिया गया है।

ग्रामीण सशक्तीकरण से संबंधित पहल:

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन
- प्रधानमंत्री आवास योजना

आगे की राह

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जलवायु परिवर्तन, बढ़ती उत्पादन लागत और कम उत्पादकता जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिये पुनर्वनियास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- सब्सिडी पर फरि से विचार करके बुनियादी ढाँचे और अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा बाजरा, दालों, तलिन, बागवानी, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन में विविधीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- सर्वेक्षण में ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने और एमएसएमई (MSMEs) के लिये आय और रोज़गार को पुनर्जीवित करने के लिये नीतियों पर भी ध्यान देने का आह्वान किया गया है।
- भारत में राज्य सरकारी व्यय में 60%, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय पर 70%, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। **केंद्र को कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आय और आजीविका, समावेशी विकास तथा स्थिरता में सुधार के लिये राज्यों के साथ मलिकर कार्य करना है।**

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)